

परियोजना का नाम—

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत समलसारी से
गैर मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 8.400 किमी०) हेतु वन भूमि
हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान

लागू नहीं है।



सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिशिपी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)

परियोजना का नाम—

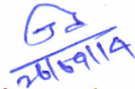
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सेमलसारी से गैर मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 8.400 किमी०) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 4.1650 है० वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रुपये 1200=00 प्रति नाली है तथा वन भूमि का कुल मूल्य रु० 249200=00 होता है।

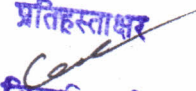

सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)


अधिषासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)


क्षेत्रीय पटवारी


तहसीलदार हाईकोट
उत्तरकाशी, उत्तरांचल प्रदेश


उपजिलाधिकारी
उत्तरकाशी (उत्तरांचल प्रदेश)

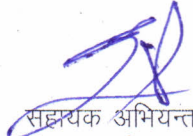

प्रतिहस्ताक्षर
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

परियोजना का नाम—

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सेमलसारी से गैर मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 8.400 किमी०) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु आर०सी०सी० पिलरों का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।



सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



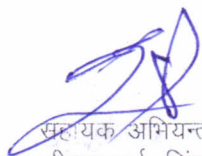
अधिशरी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)

परियोजना का नाम—

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत समलसारी से गैर मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 8.400 किमी०) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।



सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिशाली अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)

परियोजना का नाम:-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

मा उत्तरकाशी

लीज अवधि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि लीज पर नहीं ली जा रही है।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)

सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)

अधिशिक्ता अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)

क्षेत्रीय पटवारी

सुब-डिवीजनल अधिकारी
तहसीलदार बड़कोट
उत्तरकाशी

उप-जिलाधिकारी
उत्तरकाशी
बड़कोट (उत्तरकाशी)



परियोजना का नाम:-

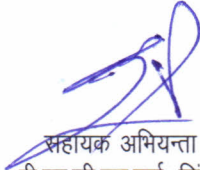
जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

स्थल विषिष्ट होने न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल विषिष्ट स्थल नहीं है।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



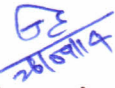
अधिसूची अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



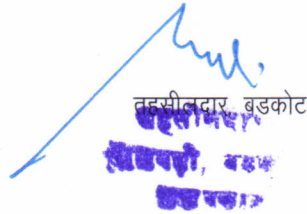
उप प्रभागीय वनाधिकारी

उप वन संरक्षक

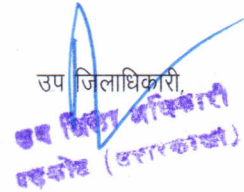
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी



क्षेत्रीय पटवारी

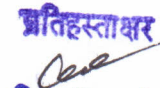


तहसीलदार, बड़कोट
बड़कोट, बड़कोट
उत्तरकाशी



उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी
बड़कोट (उत्तरकाशी)



प्रतिहस्ताक्षर

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

परियोजना का नाम:-

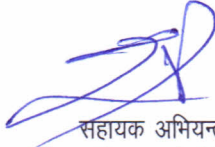
जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

पूर्व निर्मित मोटर मार्ग में निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग का विस्तार नहीं किया जा रहा है। और यह कि०मी० 8.400 एक नया मोटर मार्ग है।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिशाली अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



परियोजना का नाम:-

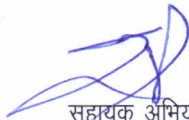
जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वृक्षों की दश गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यक धनराशि ~~रु०.11,10,794.68~~ वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिशाली अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



परियोजना का नाम:-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

दुग्ने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग में निर्माण प्रयोजन हेतु 4.1650 है० वन भूमि के प्रत्यावर्तन के एवज में दुग्ने अवनत वन क्षेत्र अर्थात् 8.3300 है० में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड पुरोला द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।



कनिष्ठा अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिशिष्ट अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)

उप प्रभागीय वनाधिकारी

उप वन संरक्षक



परियोजना का नाम:-

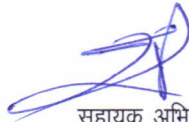
जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि 33,44,495/- रु० प्रयोक्ता एजन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी पी०एम०जी०एस०वाइ० सिंचाई खण्ड पुरोला, उत्तरकाशी द्वारा जमा करा दी जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिशस्ती अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)




राम प्रसाद
बृजराज रेड



राम प्रसाद वनाधिकारी
अपर बमुना वन प्रभाग
बड़कोट



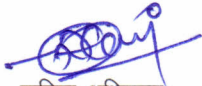
प्रभागीय वनाधिकारी
अपर समुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

परियोजना का नाम:-

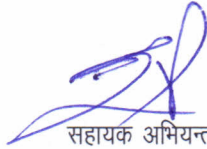
जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का मानचित्र एवं प्राक्कलन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में पडने वाले क्षतिपूरक वृक्षारोपण का मानचित्र एवं प्राक्कलन संगलन किया गया है।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



परियोजना का नाम:-

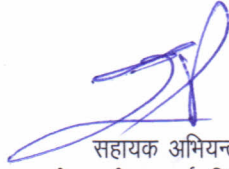
जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

एन०पी०वी० की दरों में वृद्धि किये जाने पर बढी हुई धनराशि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी पी०एम०जी०एस०वाइ० सिंचाई खण्ड पुरोला, उत्तरकाशी द्वारा जमा करा दी जायेगी।



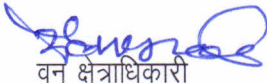
कनिष्ठ अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



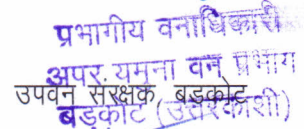
अधिशोषी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



वन क्षेत्राधिकारी
वन सभाधिकारी
पुरोला (उत्तरकाशी)



वन सभाधिकारी
अपर वन प्रभाव
बड़कोट



प्रभागीय वनधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
उपवन संरक्षक, बड़कोट
बड़कोट (उत्तरकाशी)



परियोजना का नाम:-

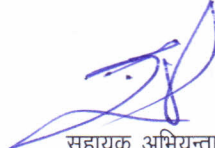
जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

विभिन्न पृष्ठ एवं सूचना का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग लम्बाई कि०मी० 8.400 का निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संगलन सभी प्रमाण पत्र की विभिन्न पृष्ठ एवं सूचनाओं की छायाप्रति सत्य हैं।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिशोषी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



परियोजना का नाम:-

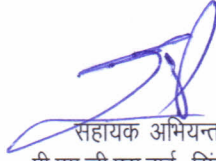
जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

छायाप्रति सत्यापन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग लम्बाई कि०मी० 8.400 का निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न सभी प्रमाण पत्र पठनीय एवं उनकी छायाप्रति को सत्यापन कर के लगाया गया है।



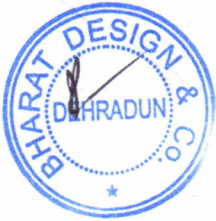
कनिष्ठ अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिशारी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)

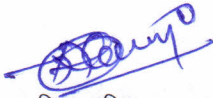


परियोजना का नाम:-

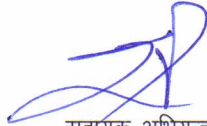
जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि रू० 7,24,300/- वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिसासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



परियोजना का नाम:-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

मानक शर्तें

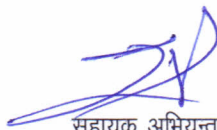
1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भांति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रभगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि मांगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरणीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायेगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत है।
6. भूमि को सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरणीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं हांगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता सा०नि०वि० के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व० क्षेत्र पौड़ को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी दिनांक 10-02-1982 में निहित आदेशों का पालन भी सा०नि०वि० द्वारा किया जायेगा कि अष्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों को निस्तारण वन विभाग उ०प्र० वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।



14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निशिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊंचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विषिष्ट प्रकरण में कोई लगाई जाती है तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आध्वासन प्राप्त हो जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)


सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)


अधिशिष्ट अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



परियोजना का नाम:-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण पत्र

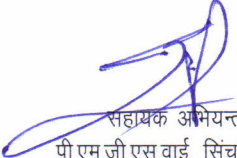
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग में वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, षमषान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गयी है।


अधियक्षक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)

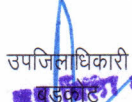
उप वन संरक्षक
अपवाहन प्रभाग
उत्तरकाशी

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

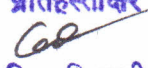

सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)


क्षेत्रीय पटवारी


तहसीलदार
बड़कोट
सिंचाई, वन, पशुधन
उत्तरकाशी


उपजिलाधिकारी
बड़कोट (उत्तरकाशी)



प्रतिहस्ताक्षर

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

परियोजना का नाम:-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग में निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड पुरोला द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिशिष्टी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)





परियोजना का नाम:-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

लाभान्वित होने ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/ परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

ग्राम - गैरमुंगरसनी

जनसंख्या- 302

गैर कोड सं०-



कनिष्ठ अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिशाली अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



परियोजना का नाम:-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का मानचित्र

प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने की टोपोशीट का मानचित्र जिसमें आरक्षित वन भूमि को हरे रंग से, सिविल वन भूमि को पीले रंग से, वन पंचायत भूमि को नीले रंग से नाप भूमि को अन्य रंग से दर्शाकर उसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को स्पष्ट रूप से लाल रंग से दर्शाया जाय व क्षतिपूरक स्थल तक पहुंच मार्ग भी मानचित्र में दर्शाया जाय। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का चयन सिविल/वन पंचायत भूमि में ही किया जाय। यदि क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का चयन आरक्षित वन भूमि में किया जाता है तो उसके सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्पष्ट आख्या/टिप्पणी उपलब्ध करायी जाय। मानचित्र में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर करायें जाय।

मानचित्र संलग्न है



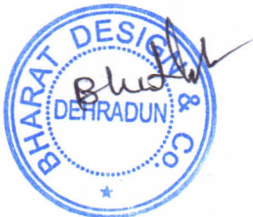
कनिष्ठ अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिशाली अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



परियोजना का नाम:-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग लम्बाई कि०मी० 8.400 का निर्माण के अन्तर्गत पड़ने वाली सिविल सोयम वन भूमि हमारी ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वांछित सिविल सोयम वन भूमि षीघ्र याचक विभाग को हस्तान्तरित करने की महान कृपा करें।



परियोजना का नाम:-

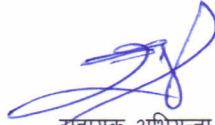
जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

लागत लाभ विष्लेषण प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आवश्यक वन भूमि का क्षेत्रफल 4.1650.है० है। अतः लागत लाभ विष्लेषण संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिशाली अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



परियोजना का नाम:-

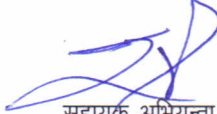
जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

प्रस्तावित परियोजना का ले आऊट प्लान एवं मदवार विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग का ले आऊट प्लान एवं मदवार विवरण संलग्न है।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



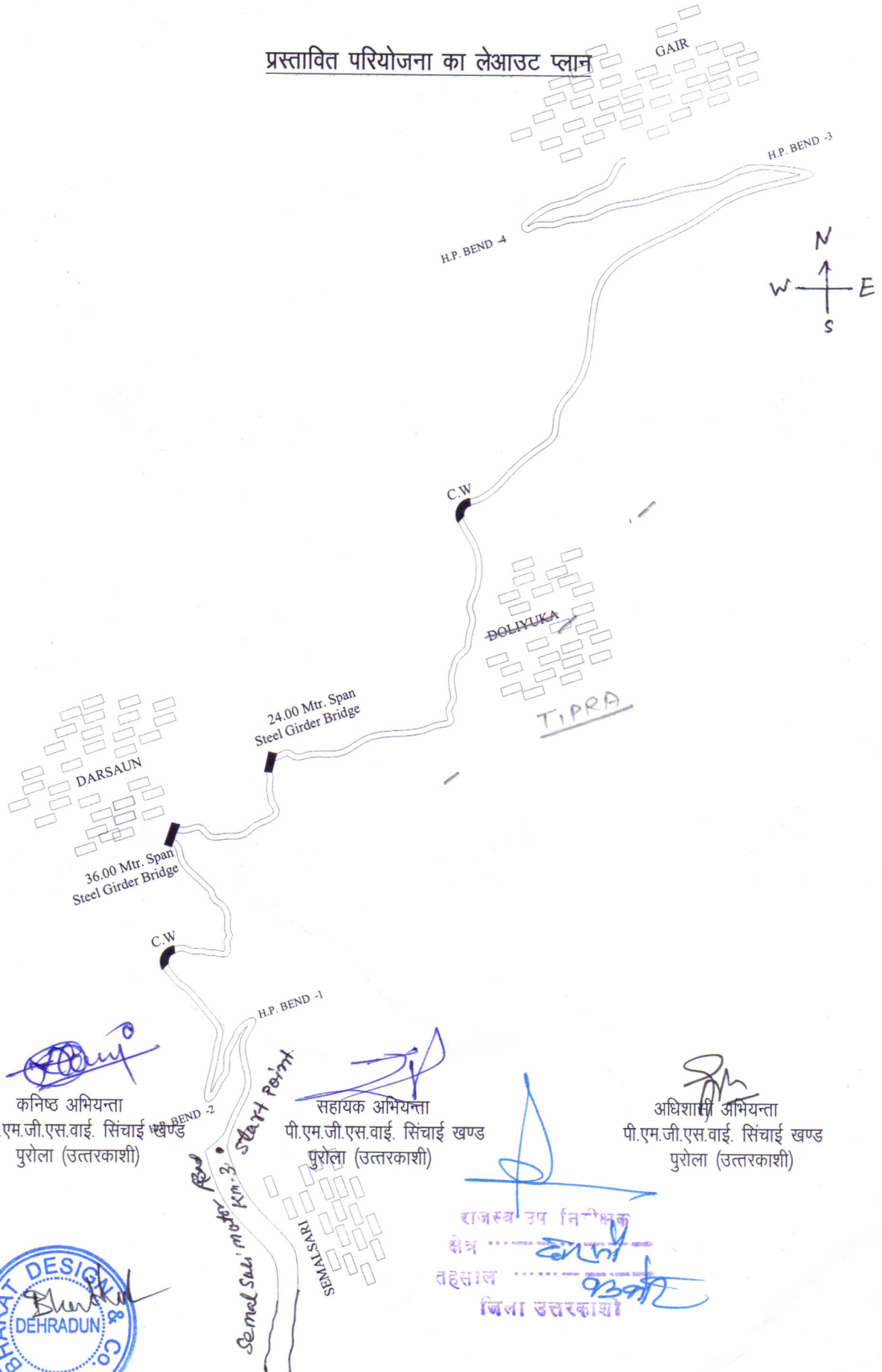
अधिशाली अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



परियोजना का नाम:-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

प्रस्तावित परियोजना का लेआउट प्लान



परियोजना का नाम:-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

प्रस्तावित परियोजना का मद वार विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग (लम्बाई कि०मी० 8.400) के निर्माण हेतु परियोजना के कार्य का विवरण निम्न हैं।

1. पहाड कटान का कार्य।
2. रिटेनिंग वाल एवं ब्रेस्ट वाल का निर्माण।
3. स्कपर एवं काजवे का निर्माण।
4. कच्ची एवं पक्की नाली का निर्माण।
5. वायर क्रेट का निर्माण।
6. कि०मी० स्टोन एवं है०मी० स्टोन तथा संकेतक बोर्ड लगाने का कार्य।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)


सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)


अधिशाली अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



परियोजना का नाम:-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

प्रस्तावित परियोजना से वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग लम्बाई कि०मी० 8.400 का निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण संलग्न है।


उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
उप प्रभागीय वनाधिकारी


उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
उप प्रभागीय वनाधिकारी

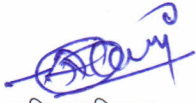


परियोजना का नाम:-

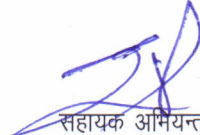
जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

परियोजना में न्यूनतम वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में पड़ने वाले वृक्षों का न्यूनतम पातन किया गया है।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिशारी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



उप प्रभारी
बुधरसारी रोड



उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर बमुना वन प्रभाग
बड़कोट



प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)



परियोजना का नाम:-

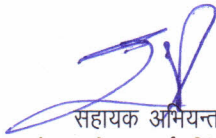
जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

परियोजना की लम्बाई व चौड़ाई का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग की कुल लम्बाई कि०मी० 8.400 है। जिसमें लम्बाई 2450 मी० निजी भूमि है जिसकी चौड़ाई 9.00 मी० है। और सिविल सोयम भूमि की लम्बाई 4850 मी०, एवं आरक्षित वन भूमि की लम्बाई 1100 मी० है जिसकी चौड़ाई 7.00 मी० है। अर्थात् वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव की कुल लम्बाई 5950 मी०, तथा चौड़ाई 7.00 मी० एवं कुल 41650 वर्ग मी० अर्थात् 4.1650 है०।



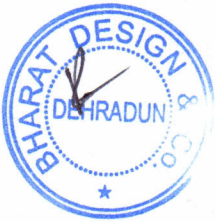
कनिष्ठ अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिशिष्ट अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



परियोजना का नाम:-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गौर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

बारचार्ट

आरक्षित भूमि (मी० में०)	सि०सो० भूमि (मी० में०)	वन पंचायत भूमि (मी० में०)	नाप भूमि (मी० में०)
1100 मी०	4850 मी०	000 मी०	2450 मी०

आरक्षित वन भूमि	1100 मी०	0.7700 है०
सिविल एवं सोयम वन भूमि	4850 मी०	3.3950 है०
वन पंचायत भूमि	0000 मी०	0.0000 है०
नाप भूमि	2450 मी०	2.2050 है०
योग	8400 मी०	6.3700 है०


कनिष्ठ अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)


सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)


अधिशिक्षी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)




राजेश्वर उप निरीक्षक
क्षेत्र
वहसाल
जिला उत्तरकाशी

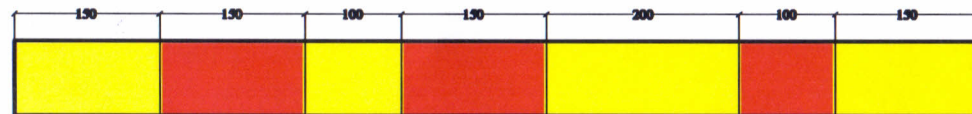
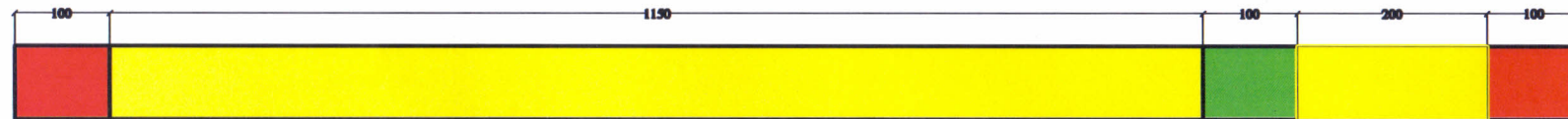
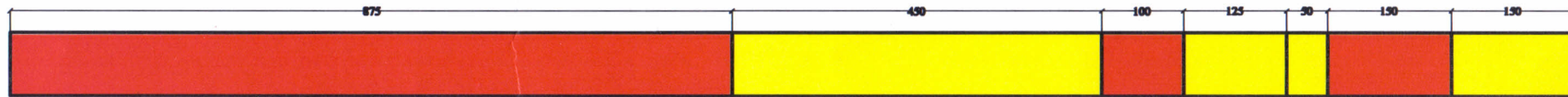

सहायक अभियन्ता
सचिव, बड़कोट
उत्तरकाशी

BAR CHART

Sheet No.-1

Name of Work :- Samal Sari to Gair Motor Road Under P.M.G.S.Y. LD., Purolo, Uttarakashi

Length- Km-8.400



प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

S.No.	Type of Land	Length	Width	Hect.	Symb.
01	Nap Land	2450	9.00	2.2050	
02	Civil Soyam	4850	7.00	3.3950	
03	Van panchayat	0000	7.00	0.0000	
04	Forest Land	1100	7.00	0.7700	



JB

AB

RB

Scale- 1:100

परियोजना का नाम:-

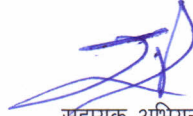
जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है भारत सरकार से वन भूमि संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृत प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।



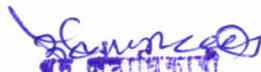
कनिष्ठ अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



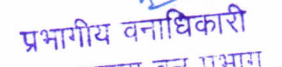
अधिशिष्ट अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)

वन विभागीय वनाधिकारी
मुख्य वन्यजीव रक्षक



वन विभागीय वनाधिकारी
बनार बभुना वन प्रभाग
बड़कोट



प्रभागीय वनाधिकारी
अपर समुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)



परियोजना का नाम:-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग दो समरेखण पर विचार किया गया। समरेखण नं० 2 को ग्राम वासियों द्वारा आपत्ति एवं समरेखण की लम्बाई अधिक होने के कारण निरस्त किया गया। प्रस्तावित समरेखण नं०-1 को ग्राम वासियों द्वारा सहमति तथा कम वृक्षों की संख्या के कारण उचित पाया गया। तकनीकि, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से भी उचित पाया गया। अर्थात् वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किया जाता है।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिशाली अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)




वन विभागीय कार्यालय
मुख्यमंत्री रोज



वन विभागीय वन अधिकारी
अपर वन्य वन प्रभाव
बडकोट



प्रभागीय वन अधिकारी
अपर वन्य वन प्रभाव
बडकोट (उत्तरकाशी)

परियोजना का नाम:-

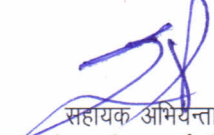
जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

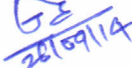
अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर गांव मोटर मार्ग में निर्माण कार्य हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित.....4.1.6.10.....है0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।


अधिसाक्षी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
उत्तरकाशी

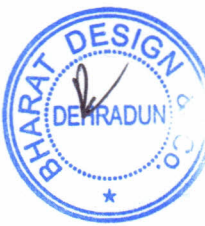
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी


सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
उत्तरकाशी


क्षेत्रीय पटवारी

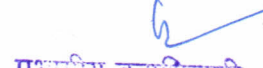

तहसीलदार
बड़कोट
तहसील, बड़कोट
जनपद उत्तरकाशी

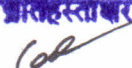

उप जिलाधिकारी
उप जिला अधिकारी
बड़कोट (उत्तरकाशी)




वन प्रभाषिकारी
बड़कोट


उप प्रभाषीय वनाधिकारी
अपर वन प्रभाग
बड़कोट


प्रभाषीय वनाधिकारी
अपर वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)


जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

परियोजना का नाम:-

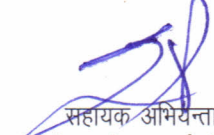
जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

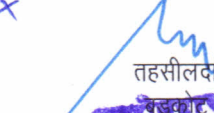
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर गांव मोटर मार्ग में निर्माण कार्य हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित.....4.1.6.10.....है0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

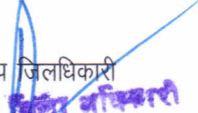

अधिसाक्षी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
उत्तरकाशी

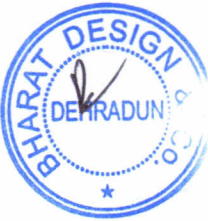
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी


सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
उत्तरकाशी


क्षेत्रीय पटवारी


तहसीलदार
बड़कोट
तहसील, बड़कोट
जनपद उत्तरकाशी

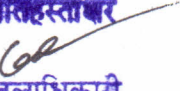

उप जिलाधिकारी
उप जिला अधिकारी
बड़कोट (उत्तरकाशी)




क्षेत्रीय पटवारी
बड़कोट


उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर वन प्रभाग
बड़कोट


प्रभागीय वनाधिकारी
अपर वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)


जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

परियोजना का नाम:-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

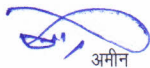
प्रस्तावित परियोजना का स्थल मानचित्र

प्रस्तावित परियोजना का 1:50, 000 के पैमाने की टोपोगीट का मानचित्र जिसमें आरक्षित वन भूमि को हरे रंग से, सिविल वन भूमि को पीले रंग से वन पंचायत भूमि को नीले रंग से नाप भूमि को अन्य रंग से प्रस्तावित समरेखण को लाल रंग से एवं वैकल्पिक समरेखणों को अन्य रंग से दर्शाया जाय। इसके अतिरिक्त मानचित्र में स्पष्ट संकेत सूची बनाकर मानचित्र में प्रभागीय वनाधिकारी, जिलाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर कराये जाये।

मानचित्र संलग्न है।

1- मार्ग के प्रारम्भ बिन्दु का निर्देशांक
N 30° 43' 47.21''
E 078° 09' 39.77''
H = 1520 mtr

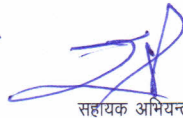
2- मार्ग के अन्तिम बिन्दु का निर्देशांक
N 30° 43' 20.33''
E 078° 11' 32.86''
H = 1685 mtr


अमीन

पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)


कनिष्ठ अभियन्ता

पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)


सहायक अभियन्ता

पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)


अधिशाली अभियन्ता

पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



REFER TO THIS MAP /
SHEET 53 J/2 S
GRIDDED

Mean True North, in this there is $5^{\circ} 24'$ East of True North.
Magnetic Variation from True North about $\frac{1}{2}^{\circ}$ East in 1965.
(Decreasing by about $2'$ annually).

[illegible]

E.E.
I.D. PWD,
PIW, PRIGS
W.H. H. H. H.